न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 22/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्या 2019/00106

बउनवानी :– 1. केशराम पुत्र पुखराज गुर्जर निवासी खेड़ली ढाणी देहरा तहसील बामनवास
2. रमेश पुत्र पुखराज गुर्जर निवासी खेड़ली ढाणी देहरा तहसील बामनवास

बनाम

1. सुग्रीव पुत्र रामसिंह गुर्जर निवासी खेड़ली ढाणी देहरा तहसील बामनवास
2. कैलाश पुत्र रामसिंह गुर्जर निवासी खेड़ली ढाणी देहरा तहसील बामनवास
3. शिवराज पुत्र रामसिंह गुर्जर निवासी खेड़ली ढाणी देहरा तहसील बामनवास
4. विरेन्द्र पुत्र केलाश गुर्जर निवासी खेड़ली ढाणी देहरा तहसील बामनवास
5. सुरेन्द्र पुत्र केलाश गुर्जर निवासी खेड़ली ढाणी देहरा तहसील बामनवास
6. कमलेश देवी पत्नि सुग्रीव गुर्जर निवासी खेड़ली ढाणी देहरा तहसील बामनवास
7. गीता देवी पत्नि केलाश गुर्जर निवासी खेड़ली ढाणी देहरा तहसील बामनवास
8. सीमा पत्नि शिवराम गुर्जर निवासी खेड़ली ढाणी देहरा तहसील बामनवास
9. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर बामनवास मे जैरकार प्रकरण सख्या दावा संख्या 49/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 37/2019 उनवानी केशराम बनाम सुग्रीव अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट)

उपस्थितः 1. श्री गिर्राज सिंह गुर्जर — वकील प्रार्थीगण
2. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– **दिनांक 9.10.2019**

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय उपजिला कलेक्टर बामनवास में विचाराधीन प्रकरण सख्या दावा संख्या 49/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 37/2019 उनवानी केशराम बनाम सुग्रीव के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के संबंध में केवियेट प्रार्थना पूर्व से ही प्रस्तुत था इसलिए प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर केवियेट प्रस्तुतकर्ता की तलवी एवं अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी एक ही गावं के स्थायी निवासी है एवं काश्तकार पेश व्यक्ति है। अप्रार्थी चालाक किस्म का आदमी है जिसने पीठासीन अधिकारी से मिलकर वाद पत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास मे पेश कर रखा है। अप्रार्थी प्रोपर्टी डीलर एवं आर.ओ. व्यवसाय करता है जिसका उपजिला कलेक्टर बामनवास के घर आना जाना रहता है गावं में सरे आम कहता है कि पीठासीन अधिकारी से तो जो मे कहूँगा वही फैसला होगा। क्योकि हम प्रापर्टी डीलर है एवं सभी अधिकारियों के आर.ओ. ठीक करता हूँ हमारा भूमि रूपान्तरण एवं आर.ओ. के संबंध में पीठासीन अधिकारी के घर आना जाना रहता है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी गरीब अनपढ काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसको उपजिला कलेक्टर न्यायालय बामनवास के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नही है। इसलिए उपजिला कलेक्टर बामनवास के यहॉ विचाराधीन मामला संख्या दावा संख्या 49/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 37/2019 उनवानी केशराम बनाम सुग्रीव को उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योकि उपजिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 49/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 37/2019 उनवानी केशराम बनाम सुग्रीव दिनांक 8.7.2019 को दर्ज रजिस्टर हुआ है। जिसपर दिनांक 17.9.2019 को वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17सीपीसी पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण अभी निर्णय की स्टेज पर नही है केवल मात्र प्रकरण मे देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह तर्क भी दिया है कि मौके पर अप्रार्थी की बाजरे की फसल सरसब्ज खडी है जो पक चुकी है तथा समय पर नही काटी गयी तो खराब होने की पूर्ण सम्भावना है। यद्यपि प्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना निराधार एवं झूंठे तथ्यों पर आधारित है किन्तु मौके पर खडी बाजरे की फसल खराब होने की स्थिति को देखते हुए प्रकरण को किसी भी न्यायालय मे इस निर्देश के साथ मुन्तकिल किया जावे कि बाजरे की फसल खराब होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रथम तारीख पेशी पर उचित निर्णय पारित करे। वकील अप्रार्थी द्वारा यह तर्क भी दिया कि श्रीमान द्वारा उक्त प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

उपजिला कलेक्टर बामनवास की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थीगण द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय बामनवास के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। किन्तु फसल खराब होने की स्थिति को देखते हुए वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की गयी है। ऐसी स्थिति में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित दावा संख्या 49/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 37/2019 उनवानी केशराम बनाम सुग्रीव को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना स्वीकार किया जाकर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सें संबंधित दावा संख्या 49/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 37/2019 उनवानी केशराम बनाम सुग्रीव को उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय से उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। उपजिला कलेक्टर बामनवास को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली दिनांक 16.10.2019 से पूर्व उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान दिनांक 16.10.2019 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। चूंकि वर्तमान में प्रकरण से संबंधित आराजीयात पर बाजरा की फसल है जो पक चुकी है एवं खराब होने की स्थिति में है ऐसी स्थिति उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि फसल खराब होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए नियत दिनांक को पक्षकारान की सुनवायी कर फसल कटवाने के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.10.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.19 17:31:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: